

*Phase Reality, Dreams will follow....*



# SHRI RAMSWAROOP MEMORIAL UNIVERSITY

Established by UP State Govt. ACT 1 of 2012

Ref. SRMU/RO/CO/2019-20/04

October 01, 2019

## Convening Order: University SC/ST Category Cell Academic Session (2019-20)

1. The constitution for University SC/ST Category Cell will be as follows:

- (a) Presiding Officer : Prof. U K Singh  
(b) Members : (i) Prof. B. M. Dixit  
(ii) Er. Niharika Chandra

2. The meeting of this cell for SC/ST Category will be convened under the chairmanship of Registrar on **October 15, 2019 at 02:00 PM** in the Conference Room, Administrative Block.

3. The agenda of meeting is appended below:

- a) Details of SC/ST candidates admitted in the academic session 2019-20.  
b) Verification of their documents as per the Government Gazette Notification.  
c) Publication and submission of documents.  
d) Any other issues brought to the notice of cell.

*Akanksha*  
01/10/2019

**Dr. Akanksha Nigam**

Dy. Registrar

CC to:

1. Prof. U K Singh, Registrar  
2. Prof. B. M. Dixit  
3. Er. Niharika Chandra

*ht*  
01/10  
*Blay*  
*Niharika Chandra*  
01/10/19

उत्तर प्रदेश शासन  
समाज कल्याण अनुभाग-3  
संख्या-222/2019/4138/26-3-2019-4(358)/07टी0सी0-III

लखनऊ: दिनांक:- 14 अक्टूबर 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

समाज कल्याण अनुभाग-3, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-84/2016/आर-755/26-3-2016-4(358)/07 टी.सी.-II, दिनांक-14.04.2017 द्वारा प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016” पर सम्यक्विचारोपरांत तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम को जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (नवम संशोधन)-2019 निम्नवत् किया जाता है:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
6-(I) (ब) ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से नामांकित किया गया हो अथवा जिन्होंने मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर विवरण आनलाइन अंकित करने के बाद विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त किया हो।	विलोपित
	6-(xxi)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p>मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment &amp; Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरांत B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हें NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p>
	<p>6-(xxii) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेन्ट कोट एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) /छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p><b>16(1)(xxix)-शिक्षण संस्थान के दायित्व-</b> संस्था द्वारा छात्र के आधार नम्बर एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।</p>
	<p><b>16 (1)(xiii)-जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व-</b> जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ- साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लाक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।</p>
<p><b><u>16(1)(ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व</u></b> शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराना।</p>	<p><b>16 (1) (ii)</b> शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।</p>
<p><b>16 (1)(iii)जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेगें।</b></p>	<p>विलोपित</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त संशोधन वर्ष 2020-21 से लागू होंगे एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016 एवं तदोपरांत अन्य संशोधित नियमावली/शासनादेश के शेष प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

सुधा श्रीवास्तव  
विशेष सचिव

पृ0सं0-222/2019/4138(1)26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्चशिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
सतीश कुमार  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।